THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) One.

(b) No, Sir.

मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि

7544. **श्री राघवजी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश और दिशा-निर्देश जारी करती है जिनका सिंचित कृषि भूमि का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है ताकि उनका औसत राष्ट्रीय औसत के समकक्ष हो जाएं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि का औसत प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, यदि हां, तो उसे सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 और पहले के दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था और उसी अवधि में कितनी धनराशि खर्च की गई थी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जिन राज्यों में सिंचाई के क्षेत्र में कम बजट का आबंटन किया है उन्हें सिंचाई के क्षेत्र में ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। योजना आयोग में होने वाली वार्षिक योजना की चर्चा के दौरान राज्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करने हेतु आवश्यक कदम उठायें। तथापि, जिन राज्यों को औसत सिंचित कृषि भूमि राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम है उन्हें कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कृषि योग्य क्षेत्र में कुल निवल सिंचित क्षेत्र 20.3 प्रतिशत था जब कि औसत राष्ट्रीय प्रतिशत 26.5 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की नीति के मुख्य तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं (i) निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में प्राथमिकता (ii) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की ज्यादा भागीदारी (iii) बहुत बड़ी संख्या में निर्माणाधीन सतही लघु जल सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना (iv) सतही एवं भूजल का संयुक्त प्रयोग।

(ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन सालों के दौरान वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं एवं लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई विकास के लिए अनुमोदित परिव्यय एवं हुआ व्यय/संशोधित परिव्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	किया गया व्यय/ संशोधित परिव्यय
1992-93	505.56	440.58
1993-94	524.05	449.89
1994-95	509.30	345.33 (संशोधित परिव्यय)

Modernisation of irrigation Projects in Gujarat

7545.. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for modernisation of some irrigation projects in Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by the Central Government in this regard;

(d) whether Government have provided any special assistance for this purpose; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Out of the two proposals for modernisation of irrigation projects in Gujarat, proposal for modernisation of Machhu-I at an estimated cost of Rs. 6.01 crores was received in the Central Water Commission in February, 1991, the project after examination in the Central Water Commission has been found acceptable by the Advisory Committee in August, 1993 at an estimated cost of Rs. 8.12 crores subject to environment